UPKN010065052026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर–नगर।

उपस्थितः अनमोल पाल... एच0जे0एस0

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2206/2026

सुहेल उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र पप्पू निवासी मकान नम्बर–83/338 टायरमण्डी नहरिया, थाना जूही, कानपुर नगर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

.....विपक्षी

वाद संख्या–19054/2026
मु0अ0सं0–153/2025
धारा– 110, 115(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0
थाना–जूही, कानपुर नगर।

16.06.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त सुहेल की ओर से मुकदमा अपराध सं0–153/2025, धारा–110, 115(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0 थाना जूही, कानपुर नगर में अग्रिम जमानत हेतु संस्थित किया गया है।
2. संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी रूकशाना द्वारा थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 17.09.2025 रात्रि 12:15 मिनट पर सुहैल के घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे जैसे ही उसका लड़का लकी वहॉ पहुंचा तो वे लो उसे गाली गलौज करने लगे जब इस बात का लकी ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करने लगे जब उसके पति लकी को बचाने आये तो उनके साथ भी मारपीट गाली गलौज करने लगे जिससे दोनों लोगों को काफी चोटें आई है तथा मारपीट करने के बाद भागते हुए जान से मारने की धमकी देते चले गये तथा उसे भी खुले में बहुत गाली गलौज की
3. उक्त तहरीर के आधार पर थाना जूही, कानपुर नगर में सुहैल, अंकुर व 04 अज्ञात के विरूद्ध मु0अ0सं0–153/2025, धारा– 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दिनांक 17.09.2025 को अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसको रंजिशन व झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उसके पता उपरोक्त में एक कबाड़ की दुकान है, जिससे वादी मुकदमा के लड़के लकी क्षेत्रीय आपराधिक प्रवृत्ति के साथ दुकानदारों से शराब आदि पीने के लिए अवैध वसूली करते है, वसूली का विरोध करने के कारण उक्त झूठे मुकदमे में उसको फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घ ाटना किसके द्वारा की गयी और किस हथियार से मारपीट की

गयी एवं किसके द्वारा किस हथियार से घातक चोट पहुंचायी गयी इसका उल्लेख न किए जाने से पूरी घटना सन्देहास्पद प्रतीत होती है। चोटहिल ने अपने बयान में भी किस व्यक्ति द्वारा उसके सिर में चोट पहुंचायी गयी, किस हथियार से चोट पहुंचायी गयी, इसका उल्लेख नहीं किया है। घटना से सम्बन्धित किसी भी मौके के गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया है। लकी का क्षेत्रीय लोगों से अवैध रूप से शराब पीने के पैसे की वसूली को लेकर झगड़ा होने पर लकी व चोटहिल के भागते समय गिर जाने पर चोटे आयी है, जिसका डाक्टरी रिपोर्ट भी कुन्द व मुथरी से चोटे आने का समर्थन किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वादी के लड़के की अवैध वसूली के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2025 को जरिये रजिस्ट्री थाना प्रभारी जूही कानपुर नगर व डी0जी0पी0 को प्रेषित किया गया था। वादिनी व उसके लड़के लकी, अरबाज, रूखसाना, साहिबा आदि ने दिनांक 16.10.2025 समय करीब 21:58 बजे पुरानी खुन्नस व अवैध वसूली की मांग पूरी न किए जाने के कारण उसकी दुकान में घुस कर लाठी डण्डो व लात घूसो से मारा पीटा था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या–173/2025 धारा 115(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0 थाना जूही कानपुर नगर में पंजीकृत होकर आरोप पत्र संख्या–156 सन 2025 व वाद सं0 22769 सन 2026 है। उक्त प्रकरण में भी आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सह अभियुक्त अंकुर की जमानत दिनांक 20.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक घटना स्थल पर मौके पर नहीं था न ही उसके द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया है। प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, कोई भी विवेचना शेष प्रचलित नहीं है, अतः अग्रिम जमानत स्वीकार की जाये।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा, उसके पुत्र तथा उसके पति को गाली गलौज देते हुए अपमानित किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी तथा उनके साथ मारपीट की गयी एवं वादिनी के पति के सिर में गम्भीर चोटें पायी गयी हैं। प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।
6. मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पुत्र तथा उसके पति को गाली गलौज देते हुए अपमानित किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी तथा उनके साथ मारपीट की गयी एवं वादिनी के पति को मारपीट कर उसके सिर पर गम्भीर चोटें पहुंचाई गयी हैं।
8. केस डायरी के साथ संलग्न मेडिकल आख्या के अनुसार चुटहिल को निम्न चोटें पायी गयी है–

1. INCISED WOUND 7 x 1CMx MUSCLE DEEP PRESENT OVER LEFT SIDE PARIETAL REGION OF SKULL, 5CM ABOVE FROM FEFT EAR, FRESH BLEEDING PRESENT MARGINS ARE IRREGULAL K/U/O CT HEAD ADVICED AND REFER TO HIGHER CENTRE/L.L.R. HOSPITAL KANPUR NAGAR FOR SURGEON/NEUROSURGEON OPENION, FUTHER TREATMENT AND MANAGEMENT.
2. LACERATED WOUND 3X0.5CM PRESENT OVER LEFT SIDE PARIETAL REGION OF SKULL, 1CM AWAY FROM INJURY NO. 01, FRESH BLEEDING PRESENT MARGINS ARE IRREULAR.
3. LACERATED WOUND 1X0.5 CMXSKIN DEEP PRESENT OVER LEFT SIDE FOREHEAD, JUST ABOVE FROM LEFT EYEBRO, FRESH BLEEDING PRESENT MARRINS ARE IRREGULAR.

चिकित्सक के अनुसार चोटों को निगरानी में रखा गया तथा चोटें हार्ड एण्ड ब्लन्ट से आना कहा गया है।

9. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादिनी मुकदमा रूकशाना का बयान अंकित किया गया, जिसने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।
10. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा चोटहिल अरबाज उर्फ लकी का बयान अंकित किया, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि वह अपने घर के बाहर खड़ा था जहां से उसके पड़ोस का ही रहने वाला सुहैल अपने दोस्तो के साथ अपने घर की तरफ खड़ा था वे लोग उसे गाली गलौज करने लगे। उसने विरोध किया तो बुरी तरह से मारने पीटने लगे, उसके अब्बू उसे बचाने आए तो उनका तो सिर ही फाड़ दिया, सिर में थोड़ा भी ज्यादा चोट लग जाती तो पता नहीं क्या हो जाता फिर उसका मेडिकल हुआ, लेकिन उसके पापा की तबियत इतनी खराब थी कि उसने अपना मेडिकल ही नहीं कराया। वहां उसने लिखकर दिया था कि उसे मेडिकल नहीं करना है तब वह पापा को लेकर हैलट अस्पताल आया जहां उनके सिर का सी0 टी0 स्कैन हुआ।
11. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा चोटहिल मो0 अफसर का बयान अंकित किया गया, जिसने अपने बयान में कथन किया है कि वह घर पर ही था और वहॉ सुहेल के घर के पास तिराहे पर शोर शराबा हो रहा था। मोहल्ले के बच्चों ने बताया कि बाहर वे लोग अरबाज को पीट रहे है। वह उन्हें छुडाने गया तो उसी लड़ाई झगड़े में ही उसके सिर में भी पता नहीं क्या मार दिया। बहुत दर्द है। मारने वालों में सुहेल, अंकुर और उन लोगों के दोस्त थे। बाकी लोगों को ठीक से नहीं देखा न ही उनके नाम पता उसे पता है। वे लोग गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।
12. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा डॉ0 प्रांजल पांडे का बयान अंकित किया गया है, जिसमें डाक्टर द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 17.09.2025 की रात उसकी ड्युटी सी0एम0ओ0 के रूप में थी तभी करीब 01 बजे मजरूब अफसर को उसके पास मेडिकल हेतु लाया गया था। उसके शरीर पर कुल तीन चोट थी जिसमें सिर पर एक 7 X 1 से0मी0 का घाव था, इसी चोट के लिए उसे हैलट रेफर किया गया था। सिर के लेफ्ट साइड में ही 3 X 0.5 से0मी0 का

एक फटा हुआ घाव था। एक और चोट थी। चोटें फ्रेश थी और चोट मारने में पयुक्त वस्तु हार्ड एंड ब्लन्ट थी। सिर की चोट हमेशा खतरनाक होती है।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शुक्ला (2014) 2 एस0सी0सी0 171** के मामले में धारित किया गया है कि धारा–438 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग की प्रकृति असाधारण है, इसे मात्र अपवादिक स्थितियों में प्रयोग किया जाना चाहिए–
    1. जहां यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है, अथवा
    2. जहां यह धारित करने के लिए युक्ति–युक्त आधार है कि अपराध के अभियुक्त को अन्यथा अपने स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने की संभावना नहीं है।
14. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/ अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पुत्र तथा उसके पति को गाली गलौज देते हुए अपमानित करने, जान से मारने की धमकी देने एवं उनके साथ मारपीट की गयी एवं वादिनी के पति को मारपीट कर उसके सिर पर गम्भीर चोटें पहुंचाने का कथन किया है।
15. प्रस्तुत प्रकरण में चोटहिल के मेडिकल परीक्षण में तीन चोटें पायी गयी है, जो कि सिर जैसे मार्मिक भाग पर है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।
16. दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य से प्रथम दृष्टया मामले में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका प्रतीत होती है, अतः इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अभियोज लगाया गया है।
17. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

18. आवेदक/अभियुक्त सुहेल का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।
19. आदेश की एक प्रति रिमाण्ड प्रपत्र अथवा मूल पत्रावली में संलग्न किए जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

(अनमोल पाल)
आई.डी. यू.पी.1880
सत्र न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

दिनांकः 16.06.2026
कुतबुल्लाह

Digitally signed by ANMOL PAL
Date: 2026.06.16 17:28:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court